



वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त का कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Office of Senior State Medical Commissioner : Employees' State Insurance Corporation
"पंचदीप भवन, नंदानगर, इन्दौर-452 011 "Panchdeep Bhawan", Nandanagar, Indore-452 011
दूर० 0731-2572560, ई-मेल <smc-mp@esic.nic.in>

कं. 18-यू/13/18/केशलेश/विज्ञापन/राचिआ/2014(01)

दिनांक : 25.09.2014

प्रति,

संचालक
एस0एम0जे0 ट्रस्ट हॉस्पिटल,
दीक्षितपुरा, जबलपुर

विषय:- अनुबंध की अवधि बढ़ाए जाने बाबद्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 09.08.2014 को समाचार पत्र "पत्रिका" में प्रकाशित सेकेण्डरी केयर अनुबंध हेतु आवेदन मांगे गए थे जिसमें आपके हॉस्पिटल का आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2014 को प्राप्त हुआ है। चूंकि वर्तमान में आपके हॉस्पिटल का अनुबंध दिनांक 30.09.2014 को समाप्त हो रहा है। आपके आवेदन एवं पूर्व में किए गए अनुबंध की नियम व शर्तों के आधार पर आपके हॉस्पिटल को सेकेण्डरी केयर इलाज हेतु आगामी दिनांक 31.10.2014 तक के लिए अनुबंध की अवधि बढ़ाई जाती है।

यह पत्र वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदया की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(सतोश कुमार श्रीवास्तव)

उपनिदेशक(प्रशासन)

कृते-वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त-म०प्र०

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ, नन्दानगर, इन्दौर की ओर इस अनुरोध के साथ कि संबंधित औषधालय को तत्संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।
2. संबंधित चिकित्सा निदेशी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपनिदेशक(प्रशासन)

कृते-वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त-म०प्र०